हरियाणा राज्य बनाम श्याम सुंदर

1849

( कुलदिप तिवारी, जे.)

इससे पहले सुरेश्वर ठाकुर और कुलदिप तिवारी, जे. जे.

हरियाणा राज्य-आवेदक

बनाम

श्याम सुंदर-2018 का उत्तरदाता सी. आर. एम.-ए. संख्या 2456-एम. ए.

16 नवंबर, 2022

भारतीय दंड संहिता, 1860-एस. 420,376,328 और 506-बलात्कार-एफ. आई. आर. में देरी बयानों में भौतिक विरोधाभास-शिक्षित महिला-अभियोजन पक्ष द्वारा महत्वपूर्ण गवाहों की जांच नहीं की गई-पूरे एक साल तक बलात्कार की घटना का खुलासा नहीं करने का कारण यह था कि आरोपी के पास उसकी अश्लील तस्वीरें थीं-कोई तस्वीर बरामद नहीं की गई या पेश नहीं की गई-यदि बलात्कार के आरोप हैं, तो सामान्य रूप से देरी अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है-हालांकि जहां गद्यलेखक का बयान विश्वसनीय नहीं है, देरी भी बरी होने के आदेश को दर्ज करने के कारणों में से एक है। माना गया कि पूरे एक साल तक बलात्कार की घटना का खुलासा नहीं करने का कारण यह था कि आरोपी के पास उसकी अश्लील तस्वीरें थीं, जो उसके द्वारा तब ली गई थीं जब वह बेहोश थी। हालाँकि, न तो अभियोजन एजेंसी ने उन तस्वीरों को बरामद किया, विशेष रूप से जब प्रतिवादी-अभियुक्त के तीन अलग-अलग प्रकटीकरण बयान दर्ज किए गए थे और न ही शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के कारण को साबित करने के लिए उन तस्वीरों को रिकॉर्ड पर पेश किया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जहां बलात्कार के आरोप हैं, सामान्य रूप से देरी अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है। हालांकि, वर्तमान परिस्थितियों में, जहां अभियोजक का बयान विश्वसनीय नहीं है, प्रासंगिक देरी भी एक कारण है, जिस पर निचली अदालत द्वारा बरी करने का आदेश दर्ज करने में उचित रूप से विचार किया गया था।

(पैरा 21)

P.P.Chahar, डीएजी, हरियाणा। कुलदिप तिवारी, जे. सी. आर. एम-38642-2018

(1) यह वर्तमान अपील दायर करने में 92 दिनों की देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1850

(5) विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित बरी किए जाने के आदेश की वैधता की जांच करने से पहले, वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पहले निपटना उपयुक्त होगा। (6) अभियोजन एजेंसी को शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन Ex.PW-6/A पर गति दी गई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान पीडब्लू-7 के रूप में जांच की गई थी। अपनी शिकायत में, उसने प्रतिवादी-आरोपी के खिलाफ आरोप लगाया कि उसने उसे नौकरी देने के आश्वासन के तहत उसे Rs.10 लाख और उसके आभूषण देने के लिए उकसाया था। दूसरा, कि 22.10.2014 पर, आरोपी-प्रतिवादी ने उसे अपने कार्यालय "प्राइम टेक इंटरनेशनल" में बुलाया और उसे पीने के लिए रस दिया और उसके बाद, वह बेहोश हो गई और उसकी बेहोशी की स्थिति में आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी अश्लील तस्वीरें लीं। प्रतिवादी-अभियुक्त ने दो हलफनामे और दो चेक भी दिए जिनकी राशि क्रमशः 1 लाख और 1 लाख रुपये थी। उपरोक्त आवेदन Ex.PW-6/A के आधार पर एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की जाँच की गई; प्रतिवादी-अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमे के दौरान पीडब्लू-2 के रूप में जाँच किए गए डॉ. अनूप गोयल, चिकित्सा अधिकारी, एमएलजीएच, यमुना नगर द्वारा उसकी चिकित्सकीय-कानूनी जाँच की गई। शिकायतकर्ता का बयान धारा 164 Cr.PC के तहत दर्ज किया गया था। डॉ. प्रगति गर्ग, मेडिकल स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम श्याम सुंदर द्वारा उसकी चिकित्सकीय-कानूनी जांच भी की गई थी।

1851

( कुलदिप तिवारी, जे.)

महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेशकर 1 में उच्चतम न्यायालय। (9) माननीय उच्चतम न्यायालय ने चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य 2 मामले में बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते समय व्यापक सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्धारित किया, जो इस प्रकार हैंः

(1) अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा करने, उनकी पुनः सराहना करने और उन पर पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति होती है, जिनके आधार पर बरी करने का आदेश दिया गया है। (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और एक अपीलीय न्यायालय, अपने समक्ष साक्ष्य के आधार पर, तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंच सकता है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, 'पर्याप्त और सम्मोहक कारण', 'अच्छा और पर्याप्त आधार', 'बहुत मजबूत' 1 2008 (9) एस. सी. सी. 475

2 2007 (2) आर. सी. आर. (क्रोरल) 92 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1852

परिस्थितियों ',' विकृत निष्कर्ष ',' स्पष्ट गलतियों 'आदि का उद्देश्य बरी होने के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय न्यायालय की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह के वाक्यांश 'भाषा के विकास' की प्रकृति में अधिक हैं। (4) हालाँकि, एक अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी होने के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत उसके लिए उपलब्ध निर्दोषता का अनुमान कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता। दूसरा, अभियुक्त द्वारा बरी किए जाने के बाद, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली अदालत द्वारा और मजबूत, पुष्टि और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के निष्कर्ष में बाधा नहीं डालनी चाहिए। (10) बिशन सिंह बनाम पंजाब राज्य 3 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

“22. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 के तहत अपील में बड़े पैमाने पर उन साक्ष्यों की समीक्षा करने की पूरी शक्ति है, जिनके आधार पर बरी करने का आदेश दिया गया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की पूरी शक्ति है कि साक्ष्य के आधार पर बरी करने के आदेश को उलट दिया जाना चाहिए। उस शक्ति पर तब तक कोई सीमा नहीं रखी जानी चाहिए जब तक कि इसे संहिता में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया हो, लेकिन संहिता द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और तथ्य पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों को उचित महत्व और विचार देना चाहिए जैसे किः (1) गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में विचारण न्यायाधीश के विचार; (2) अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता का अनुमान, एक ऐसी धारणा जो निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर नहीं हुई है कि उसे उसके मुकदमे में बरी कर दिया गया है; (3) किसी भी संदेह के लाभ के लिए अभियुक्त का अधिकार; और (4) -

3 1974 (3) एस. सी. सी. 288 स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम श्याम सुंदर

1853

( कुलदिप तिवारी, जे.)

एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए तथ्य के निष्कर्ष को बाधित करने में एक अपीलीय अदालत की धीमी गति, जिसे गवाहों को देखने का लाभ था। ”

(13) अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से अभियोजक के बयान के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसकी अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के अलावा पीडब्लू-7 के रूप में जांच की गई थी। इसलिए, हमारे लिए यह जांच करना महत्वपूर्ण है कि क्या शिकायतकर्ता का बयान विश्वसनीय और विश्वसनीय है जो आरोपी के अपराध को घर लाने के लिए पर्याप्त है। यह कानून का एक स्थापित प्रतिपादन है कि अभियोजक की गवाही अभियुक्त की दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए पर्याप्त है और इसके लिए किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, उस उद्देश्य के लिए, यह आवश्यक है कि ऐसी गवाही विश्वसनीय होगी और न्यायालय को उस पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त विश्वास प्रेरित करेगी। अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना होता है और संभावना की प्रधानता पर केवल एक तथ्य स्थापित करके जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है। (14) वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन Ex.PW-6/A में निम्नलिखित आरोप लगाएः

“वह (शिकायतकर्ता) 'जे' कॉलोनी, कैम्प, जिला XXX की निवासी है। उसने अपने पति के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज कराया है और उस मामले में वह जगाधरी अदालत आती थी। अगस्त, सितंबर, 2013 में, वह जगाधरी दरबार के परिसर में बुराड़ी रोड, जगाधरी के निवासी श्याम सुंदर पुत्र धरम पाल से मिली और उन्होंने एक-दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके पक्ष में निर्णय लेगा क्योंकि वह उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क कर रहा है और उसके लिए सरकारी नौकरी का प्रबंधन करेगा, जैसा कि वह कर रहा है।

4 2002 (6) एस. सी. सी. 470 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1854

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से संपर्क करें। वह अपने तनाव के कारण उसके आश्वासन में आई। श्याम सुंदर लाल बत्ती वाली कार में उनसे मिलता था। उसने उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करने के लिए उससे 1 लाख रुपये की मांग की। अक्टूबर 2013 से अक्टूबर 2014 तक, उसने उसे अपने कार्यालय के नाम और शैली में 'प्राइम टैंक इंटरनेशनल' कहा और उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए दबाव डाला, लेकिन वह उस पर चिल्लाई। उसने उसे जूस पीने के लिए कहा और उसे लेने के बाद वह बेहोश हो गई और उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए उसने उसके साथ बलात्कार किया। उसने उसकी अश्लील तस्वीरें क्लिक कीं। उसने आपत्ति जताई लेकिन श्याम सुंदर ने कहा कि अगर वह नौकरी पाना चाहती है तो उसे यह सब करना होगा। इसके बाद श्याम सुंदर ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए रखे। उसने कहा कि वह उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करेगी। उसे खेद होने लगा और उसने कहा कि वह उसके पैसे वापस कर देगा। उसने जनवरी और फरवरी, 2015 में उसे दो शपथ पत्र और अपने खाते के दो चेक दिए और उसने नौकरी की व्यवस्था के संबंध में खाली कागजों पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए। अपने रिश्तेदार संजय त्यागी पुत्र श्री की उपस्थिति में उन्होंने श्याम सुंदर को पैसे और गहने दिए। प्रेम नाथ, निवासी 'जे' कॉलोनी, जिला XXX। इसके बाद, श्याम सुंदर उससे उसके घर में एक/दो बार मिला और आश्वासन दिया कि वह उसके पैसे वापस कर देगा, लेकिन उसने उसे वापस नहीं किया। श्याम सुंदर उससे प्यारा चौक पर मिला, जहाँ उसने उसके पैसे और तस्वीरों के बारे में पूछा, नहीं तो वह पुलिस स्टेशन में शिकायत करेगी, इस पर उसने उसकी जान लेने की धमकी दी और वहाँ से भाग गया। श्याम सुंदर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके पैसे, गहने और तस्वीरें बरामद की जाएं। ”

(15) जब उससे जिरह कराई गई, तो वह इस पर कायम नहीं रह सकी। अपनी जिरह के दौरान, उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसकी पहले की शिकायत दिनांक आईडी2 में उसने इस तथ्य का आरोप नहीं लगाया था कि आईडी1 पर आरोपी ने उसे लाल द्वार, यमुना नगर में स्थित "प्राइम टेक इंटरनेशनल" के नाम से अपने कार्यालय में बुलाया और उसका रस पिलाया और उसके बाद वह बेहोश हो गई और बेहोश अवस्था में, आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। प्रतिपरीक्षा के प्रासंगिक उद्धरण को पुनः प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है, जिसे नीचे पढ़ा जा सकता हैः

“मुझे अपनी शिकायत में लेखक नहीं मिला, जो 04.07.2015 में दर्ज की गई थी कि 22.10.2014 पर आरोपी ने मुझे स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम श्याम सुंदर में बुलाया था।

1855

( कुलदिप तिवारी, जे.)

यमुना नगर के लाल द्वार में स्थित प्राइम टेक इंटरनेशनल के नाम से उसका कार्यालय और आरोपी श्याम सुंदर ने मुझे जूस की पेशकश की और साथ ही मैंने रस पिया और बेहोश हो गया या आरोपी श्याम सुंदर ने मेरे साथ बलात्कार किया। मुझे आई. डी. 1 की अपनी शिकायत में यह कभी दर्ज नहीं किया गया कि कुछ समय बाद जब मुझे होश आया तो आरोपी श्याम सुंदर ने मेरी अश्लील तस्वीरें दिखाईं जो उसने अपने मोबाइल में क्लिक की थीं या उसने मुझे धमकी दी कि वह उस घटना के बारे में किसी को न बताए या बहाने से उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। स्वयंसेवी ने कहा कि मैंने अपने वैवाहिक मुकदमों के लंबित होने और सामाजिक दोष के कारण उक्त शिकायत में इन तथ्यों को दर्ज नहीं किया है। मैंने अपनी शिकायत में और साथ ही हलफनामे में कभी नहीं लिखा कि आरोपी ने मुझे धमकी भी दी कि वह पूरी घटना मेरे ससुराल वालों को बताएगा। आई. डी. 1 दिनांकित अपनी शिकायत में मैंने कभी यह दर्ज नहीं किया कि वह सभी को मेरी अश्लील तस्वीरें दिखाने के बहाने मुझे उसके साथ यौन संबंध बनाए रखने के लिए मजबूर करता था। फाइल पर ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। स्वयंसेवी ने कहा कि मैंने अपने वैवाहिक मुकदमों के लंबित होने और सामाजिक दोष के कारण उक्त शिकायत में इन तथ्यों को दर्ज नहीं किया है। आरोपी श्याम सुंदर ने भी मेरे खिलाफ एस. पी., यमुना नगर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें वर्तमान मामले से पहले मेरे कहने पर उसके झूठे निहितार्थ की आशंका जताई गई है। अभियुक्त ने मेरे खिलाफ 19.03.2015 पर एक और शिकायत दर्ज कराई थी। जुलाई, 2015 के महीने में दर्ज की गई मेरी शिकायत की जांच पहले डीएसपी, यमुना नगर द्वारा की गई थी और उसके बाद डीएसपी, बिलासपुर द्वारा इसकी जांच की गई थी। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि डीएसपी, बिलासपुर ने मेरी शिकायत पर निष्कर्ष दिए थे कि यह मामला धन के लेन-देन से संबंधित है। ”

परिवादकर्ता के मुख्य परीक्षण और प्रतिपरीक्षा को नंगे पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि बयानों में भौतिक विरोधाभास हैं। वह एक सुशिक्षित महिला हैं और एम. ए. M.Phil हैं। उसने अपनी जिरह के दौरान स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जब तक उसने 02.10.2015 पर आवेदन दायर नहीं किया, जिस पर वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई थी, तब तक उसने प्रतिवादी-आरोपी द्वारा उस पर बलात्कार करने के संबंध में किसी भी अधिकारी या किसी व्यक्ति के सामने अपना बयान दर्ज नहीं कराया।

(16) उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा की शिकायत

2022(2)

1856

(18) जिरह के समय शिकायतकर्ता ने विधिवत स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1883 की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की थी, जिसे बाद में 04.12.2017 Ex.D-3 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। उक्त फैसले के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसने आरोपी व्यक्ति द्वारा बलात्कार के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया था। उस शिकायत में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने कुछ काम करने/सरकारी नौकरी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवादी-अभियुक्त को कुल रु. 6,01,200-और 12 तोला वजन के गहने दिए। हालाँकि, जब उसने गवाह के बक्से में कदम रखा और उससे जिरह की गई, तो उसने कहा कि राशि आरोपी द्वारा किसी व्यक्तिगत काम के लिए ली गई थी, जिसका आरोपी द्वारा कभी खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन उसने यह भी कहा कि आरोपी ने उसे कुछ सरकारी नौकरी देने का आश्वासन भी दिया था। अभियोजक का एक विरोधाभासी बयान मिलने पर, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी ने प्रतिबादी-अभियुक्त के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायत को खारिज कर दिया। (19) अभियोजन पक्ष ने डॉ. प्रगति गर्ग, चिकित्सा अधिकारी एमएलजीएच, यमुना नगर से भी पीडब्लू-3 के रूप में पूछताछ की, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि अभियोजन पक्ष ने खुद की चिकित्सकीय-कानूनी जांच कराने से इनकार कर दिया। पीडब्लू-3 के कथन का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पढ़ा गया हैः

“बता दें कि 02.10.2015 पर, एल/ए. एस. आई. मेनका ने अभियोजक को चिकित्सा जांच के लिए लाया था, लेकिन उसने चिकित्सा जांच के लिए इनकार कर दिया और इस आशय का लिखित में भी उल्लेख किया। एमएलआर Ex.PW-3/A है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उसने विशेष रूप से कहा था कि वह अपनी चिकित्सा जांच से इनकार करने के लिए किसी भी दबाव में नहीं है। ”

हरियाणा राज्य बनाम श्याम सुंदर

1857

( कुलदिप तिवारी, जे.)

(23) मामला संपत्ति, यदि कोई हो, से निपटा जाए और सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद नष्ट कर दिया जाए। ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड वापस भेजा जाए। डॉ. पायल मेहता